राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 2265/2011/श्रीगंगानगर

मैसर्स चौधरी रणजीत सिंह
श्रीगंगानगर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर,श्रीगंगानगर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.के. पारीक
अभिभाषक — अपलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 19.07.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से, उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 06/आरवैट/झुन्झुनूँ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 के लिए पारित आदेश दिनांक 20.01.2010 को शास्ति रू. 28,003/–आरोपित की है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.01.2010 को पारित किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत रू. 28,003/– की शास्ति कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गई है, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने शास्ति को यथावत रखा है । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ऑडिट रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण कर निर्धारण अधिकारी को बताया गया था कि उनके विधिक सलाहकार की पत्नि और उनके विधिक सलाहकार के ससुर बीमारी तथा बाद में उनकी भी मृत्यु हो जाने के कारण वैट ऑडिट रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो मानवीय मूल्यों के विरूद्ध है । उनका कथन है कि दोनों अवर अधिकारी इस तथ्य को समझने में भूल की है कि अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत आटोमेटिक नहीं है। उनका

कथन है कि उन्होंने मानीवय मूल्यों की अनदेखी करते हुए शास्ति का अरोपण किया गया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा सकती है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, तथा उपलब्ध रिकार्ड एंव विधिक स्थिति पर विचार किया गया । प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उसे नोटिस जारी किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बताया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी के वकील श्री शकरूदीन चौपदार के परिवार में बीमारी के कारण उनकी पत्नि की मृत्यु हो गयी थी और इसी दौरान श्री शकरूदीन चौपदार की मृत्यु हो जाने के कारण वह वैट ऑडिट रिपोर्ट कार्यालय में समयाविध में प्रस्तुत नही कर सके और इसके अलावा वह भी बीमार थे।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में उक्त तथ्यों का अंकन किया जाकर यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त तथ्यों पर सहानुभूति प्रकट की जा सकती है परन्तु कानूनी बाध्यता होने के कारण जी.टी.ओ. (ग्राण्ड टर्न ओवर) पर 0.10 की दर से शास्ति आरोपित की गयी है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य